

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in ,

Phone/Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 3439 /12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, अप्रैल, 25 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/45296/2020

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली-श्रीनगर तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 32.553 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- आपके कार्यालय की पत्र सं० 2375/12-1, दिनांक 16-04-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्ताव में हुई त्रुटियों का निराकरण इस वन प्रभाग द्वारा निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क. सं.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	बिन्दु सं० 6 में वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यवाही हेतु वर्ष 2016-17 में हुई बैठक का कार्यवृत्त अन्तिम रूप से नहीं है अंकित किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	बिन्दु सं० 6 के क्रम में निवेदन करना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यवाही हेतु वर्ष 2016-17 में हुई बैठक का कार्यवृत्त अन्तिम रूप टंकणीय त्रुटि के कारण नहीं हो गया था जिसे नहीं के स्थान पर (सही) हों पढ़ा जाये।
2	बिन्दु सं० 7 में संलग्न VCL व SDLC से सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण-पत्र अपठनीय है तथा दिनांक भी अंकित नहीं है जिससे प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित नहीं किया जा सकता।	बिन्दु सं० 7 के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय कार्यालय में आकर VLC व SDLC से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्र दिनांक सहित अंकित कर सही कर दिये गये हैं।

अतः प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।